

3 22

पृ०-६

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"

(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवाने,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

2022/343 ✓

महोदय,

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम शेखा की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 के खाता संख्या 640 में श्रीमान् साधरा पुत्र लाल दर्ज हैं जबकि वास्तविक संलग्न दस्तावेजों में साधरा लाल पुत्र लाल

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक:-

(साधरा लाल पुत्र लाल)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम शेखा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 के खाता संख्या 640 में प्रार्थी का नाम साधरा दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न दस्तावेजों व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम साधरा लाल है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू०अ०नि० शेखा
12-3-2022

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)
पटवारी
12-3-2022

रिपोर्ट तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा०भू०राज० अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी शेखा व भू०अ०नि० शेखा एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम शेखा की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 की खाता संख्या 640 में प्रार्थी का नाम साधरा के बजाय साधरा लाल किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

तहसीलदार

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम शेखा जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 640 में दर्ज प्रार्थी का नाम साधरा के स्थान पर साधरा लाल संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

279/22
28/6/22